

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

संकल्प

सं0सं0-04/आ0-20/2021/2656, राँची, दिनांक-22-11-2022

झारखण्ड के राज्यपाल को विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि श्री नवल किशोर, तदेन जिला शिक्षा अधीक्षक, हजारीबाग सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में दायर एल.पी.ए. सं0-643/2018 मनोज कुमार सिंह-बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची द्वारा मांगे गए 12/12.21 प्रतिवेदन के आलोक में गलत सूचना उपलब्ध कराकर कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं असंवेदनशीलता बरतने तथा सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-03(1)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण करने के आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित हैं।

अतः प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित आरोपों के लिए श्री नवल किशोर के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली, 2000 के नियम-43 (क), (ख) एवं 139 (ग) के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया जाता है।

उपर्युक्त लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना ज्ञापांक-8054 दिनांक-24.11.2021 के आलोक में इस विभाग के लिए नामित जाँच पदाधिकारी श्री रमेश कुमार दूबे, (सेवानिवृत्त भा0प्र0से0) को संचालन -सह- जाँच पदाधिकारी तथा श्री अरविन्द कुमार सिंह, उप सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

**आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि संकल्प एवं साक्ष्य सहित आरोप पत्र की प्रति संचालन पदाधिकारी/ उपस्थापन पदाधिकारी/ आरोपित पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाय।

आरोपित पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि अपना पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष यथा आदेश रखना सुनिश्चित करें। साथ ही वे विभागीय कार्यवाही के संचालन कार्य में विभागीय जाँच पदाधिकारी को पूर्ण सहयोग करेंगे।

17.11.22

कृ०पृ००३०

विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में प्राप्त अन्य जाँच प्रतिवेदन, परिवाद पत्र भी आरोप के तहत स्थीकार्य होंगे।

संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि निर्धारित समयावधि में जाँच कार्य पूर्ण करते हुए जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(कुमुद सहाय)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-.....2656.....

राँची, दिनांक- 22-11-2022

प्रतिलिपि :- विभागीय नोडल पदाधिकारी, विभागीय ई० पोर्टल को सूचनार्थ एवं विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(70)  
17.11.22

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-.....2656.....

राँची, दिनांक- 22-11-2022

प्रतिलिपि:- श्री रमेश कुमार दूबे, (सेवानिवृत्त, भा०प्र०स०) संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, नगर प्रशासनिक भवन, एच०इ०सी० गोलचक्कर के निकट, धुर्वा, राँची/उंपस्थापन पदाधिकारी- श्री अरविन्द कुमार सिंह, उप सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची एवं श्री नवल किशोर, तदेन जिला शिक्षा अधीक्षक, हजारीबाग सम्प्रति सेवानिवृत्त, पत्राचार का पता:- अजय इन्वलेव, फ्लैट नं०-१०४, गाँधी नगर साउथ, मटवारी, हजारीबाग, झारखण्ड- 825301, स्थायी पता- काजीबीघा, पो०- कहयारा, थाना- नारदीगंज, नवादा, बिहार- 805109 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(70)  
17.11.22

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-.....2656.....

राँची, दिनांक- 22-11-2022

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, विभागीय सचिव के आप्त सचिव, विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशास्त्रा-०१ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(70)  
17.11.22

सरकार के संयुक्त सचिव।